कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी शमसाबाद-फर्रुखाबाद ।

पत्रांक 1195 / स०जी०स०वाई०/समूहगठन/2004-05 दिनांक 27-11-04

1- प्रतिज्ञा प्रशिक्षण संस्थान
कचहरी रोड फतेहगढ़।

2- ओमशान्ती प्रशिक्षण संस्थान,
जयनरायन वर्मा रोड- फतेहगढ़।

3- जनकल्याण परिषद- गंगारोड
शमसाबाद ।

परियोजना निदेशक, महोदय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, फर्रुखाबाद के कार्यालय पत्रांक 1190/स०जी०स०वा०ई०/समूह गठन-लक्ष्य/2004-05 दिनांक 29-10-04 द्वारा इस वित्तीय वर्ष में समूह गठन का लक्ष्य कुल 85 प्राप्त हुआ है। आपको निम्न विवरण के अनुसार समूह गठन का लक्ष्य आवंटित किया जाता है। और आशा की जाती है कि आप अपने लक्ष्यो को शतप्रतिशत माह फरवरी के अन्त तक पूरा करले गें। माह फरवरी 08 2005 तक यदि लक्ष्य पूरे नहीं हुये तो आवंटित लक्ष्य अन्य किसी स्वयं सेवी संस्था को आवंटित कर दिये जायेंगे। लक्ष्यो का विवरण निम्न प्रकार है।

1-	1- प्रतिज्ञा प्रशिक्षण संस्थान फतेहगढ़	30
2-	ओमशान्ती सेवा संस्थान ,,	20
3-	जनकल्याण परिषद शमसाबाद	10
	योग	60

पांच सुविधादाताओ को न्याय पंचायत स्तर पर आवंटित न्याय पंचायत में 5-5 समूह गठन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1124 /स्वजी०स्वा०ई०/2004-05 दिनांक 18-11-04 द्वारा आदेशित कर दिया गया है।

खण्ड विकास अधिकारी,
शमसाबाद-फर्रुखाबाद ।

प्रतिलिपि- परियोजना, निदेशक, महोदय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण फर्रुखाबाद की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।

खण्ड विकास अधिकारी,
शमसाबाद-फर्रुखाबाद ।

7-6-1999

जन कल्याण परिषद, फर्रुखाबाद

........................,

........................।

महोदय,

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना की उपयोजना स्वतः रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत आपको ..ज़री पंजाबी, गोटा मोती.. ट्रेड में....10....लाभार्थियों को दो....माह का प्रशिक्षण (न्यूनतम 300 घण्टे) दिये जाने की स्वीकृति इस शर्तो के साथ प्रदान की जाती है कि:-

1. लाभार्थियों का चयन मलिन बस्ती में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों में से किया जाय तथा निर्धनतम व्यक्ति एवं गरीब विकलांग को प्राथमिकता दी जाय।
2. प्रशिक्षित लाभार्थियों में से कम से कम 75% (प्रतिशत) लाभार्थियों को अपना रोजगार/उद्यम स्थापित किये जाने हेतु स्वतः रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में सहायता दी जाये। साथ ही ड्वाकुआ एवं थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट समितियों का गठन भी कराया जायें।
3. स्वतः रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कम से कम 50 शहरी बेरोजगार गरीबों को अपना रोजगार/उद्यम स्थापित किए जाने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में सहायता दी जाय।
4. प्रत्येक योजना में चयनित लाभार्थियों की विभागीय/सी०डी०एस० अध्यक्ष की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है।
5. प्रशिक्षण का स्थान, ट्रेड एवं समय निर्धारित कर कार्यालय को उपलब्ध करायें।
6. प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु अग्रिम भुगतान देय न होगा तथा सन्तोषजनक कार्य पाये जाने पर क्रमिक भुगतान देय होगा। प्रस्तुत निर्धारित मानकों के अनुसार किया जायगा।

(विनोद शंकर त्रिवेदी)
परियोजना अधिकारी
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
फर्रुखाबाद।

कार्यालय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, फर्रुखाबाद ।

पत्रांक 993 /एस0जी0एस0वाई0/समूह-आवंटन/03-04 दिनांक: अक्टूबर/15 2003

(8) - जन कल्याण परिषद
- ससपमीस = कन्नौज।

5 - - - - - - - - -

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2003-04 में किये गये अनुबन्ध के अनुसार वित्तीय वर्ष 2003-04 के समूह गठन का लक्ष्य संलग्न विवरण के अनुसार सम्बन्धित संस्थाओं को आवंटित किये जाते है। और निर्देशित किया जाता है कि तत्काल प्रभाव से समूह गठन का कार्य प्रारम्भ कर दिया जाये। आवंटित लक्ष्य किसी भी समय घटाये व बढ़ाये जा सकते है अथवा निरस्त किये जा सकते है ।

समूह गठन की पाक्षिक सूचना सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एंव इस कार्यालय में नियमित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

समूह गठन में प्राथमिक स्तर पर निम्न बातों का विशेष ध्यान रखा जाये:-

1- स्वंय सहायता समूह में 10 से 20 सदस्य होगें ।
2- सभी सदस्य बी0पी0एल0 परिवारों से ही लिये जायेगें ।
3- एक परिवार से एक ही सदस्य लिया जाये ।
4- समूह की आचार संहिता बनायें ।
5- प्रत्येक समूह के लिये बैठक एजेण्डा बनायें/तैयार करायें ।
6- अपनी बचतों से ही खाता खोलें ।
7- यह भी ध्यान रखा जाये कि खाता सर्विस एप्रोच एरिया के अन्तर्गत जिस बैंक शाखा में गांव अंगीकृत हो उसी में खाता खोला जाये ।
8- निर्णय में सभी की भागीदारी हो ।
9- संस्था द्वारा मूल अभिलेखों (समूह) का रख रखाव किया जाये ।
10- समूह सिर्फ महिलाओं के हो सकते है सिर्फ पुरुषों के हो सकते है सम्मिलित महिलाओं एंव पुरुषों के हो सकते है तथा विकलांग व्यक्तियों के हो सकते है।
11- कम से कम 50 प्रतिशत महिलाओं के समूह अवश्य रखे जायें ।
12- अनु0जाति के लाभार्थियों को 50 प्रतिशत कवर किया जाये ।

परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
फर्रुखाबाद ।

पत्रांक /दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि:- समस्त खण्ड विकास अधिकारी फर्रुखाबाद को इस निर्देश के सा प्रेषित कि आपके विकास खण्ड में चयनित संस्था को अपने स्तर से न्याय पंचायतें आवंटित करना सुनिश्चित करें, तथा आवंटित न्याय पंचायतों की एक-एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

2- जिला प्रबन्धक नाबार्ड फर्रुखाबाद ।
3- अग्रणी जिला प्रबन्धक बैंक आफ इण्डिया, फर्रुखाबाद ।
4- अध्यक्ष, फर्रुखाबाद ग्रामीण बैंक फर्रुखाबाद ।

परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
फर्रुखाबाद ।

8/=

क्रमांक	संस्था का नाम	आवंटित विकास खण्ड	आवंटित लक्ष्य
1-	जनकल्याण परिषद,सरायमीरा कन्नौज	शमसाबाद	30

परियोजना निदेशक
जि० ग्रा० वि० अभि०, [illegible]